FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. एक्ट राजसमन्द

राज्य बनाम खरताराम वगैरा (7)

सेशन केस नं. 124/2025 सेशन केस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.01.2026	विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण खरताराम, पूनाराम, प्रताप, कन्नाराम, लखमा, डूंगाराम, मिकाराम बर मय अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह राठौड उपस्थित। गवाह संख्या 25 अनुपस्थित जो इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी हैं एवं प्रकरण में इस गवाह की साक्ष्य लेखबद्ध की जाने शेष हैं, इस गवाह उपस्थित नहीं होने से प्रकरण की न्यायिक कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब कारित हो रहा हैं। चूंकि यह प्रकरण राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत लक्षित प्रकरणों में लम्बित है। गवाह संख्या 25 को जरिए जमानती वारण्ट 10,000/–तलब किया जावे। तामील आवश्यक रूप से विशेष वाहक द्वारा करवाने का नोट अंकित किया जावे। तामील आज ही जारी की जावे एवं तामील हेतु अर्द्धशासकीय पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को भेजी जावें एवं तामील हेतु अर्द्धशासकीय पत्र की एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को प्रेषित की जावें। उक्त गवाह की उपस्थिति बाबत् अभियोजन भी अपने स्तर पर सार्थक प्रयास करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 09.02.2026 को पेश हो। **विशिष्ठ न्यायाधीश** **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित** **जन जाति (अ.नि.) प्रकरण** **राजसमन्द**	